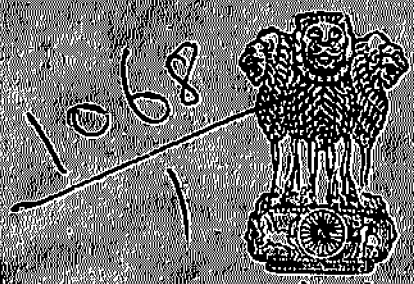

1068/1

सत्यमेव जयते

खंड ४ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १ फरवरी, १९५४

Vol. IV No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 1st February, 1954.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५४।

[मूल्य—६ आना।]
[*Pric Annas 6.*]

नवल किशोर महथा को राजनीतिक पीड़ित कोष से सहायता।

*४५४। श्री पुनीत राय—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि नवल किशोर महथा, ग्राम डोमचांच, जिला हजारीबाग एक राजनीतिक पीड़ित हैं;

(ख) क्या यह बात सही है कि उन्होंने राजनीतिक पीड़ित कोष से सहायता के लिये एक आवेदन-पत्र दिया है;

(ग) क्या यह बात सही है कि उनके उस आवेदन-पत्र पर अभी तक विचार नहीं हुआ है;

(घ) राजनीतिक पीड़ितों के मामले का कब तक अन्तिम रूप से फैसला करने का निश्चय किया गया है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) उनका दावा है कि वे एक राजनीतिक पीड़ित हैं। इस विषय की जांच हुई है।

(ख) उत्तर 'हां' है।

(ग) श्री नवल किशोर महथा के केस की जांच हुई है और उनके केस को पोलिटिकल सफरर्स एडवायजरी कमिटी के सामने रखा जायगा।

(घ) चूंकि राजनीतिक पीड़ितों के केस की जांच की जाती है, इसलिए कोई समय नहीं दिया जा सकता है। मगर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो जाय।

जमशेदपुर, भागलपुर मिलिट्री फोर्स के सिपाहियों को एलाउएन्स।

†*४५६। श्री रामानन्द तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि अंग्रेजी राज्य में जमशेदपुर, धनबाद तथा भागलपुर मिलिट्री पुलिस फोर्स के सिपाही तथा हवलदारों को ५ रुपये और १४ रु० और जिलों से अधिक एलाउएन्स मिलता था;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलायेगी कि किस कारण से आजादी मिलने के बाद वह एलाउएन्स बन्द कर दिया गया;

(ग) क्या सरकार उनलोगों को फिर वह एलाउएन्स देने को सोच रही है जो अंग्रेजी राज्य के समय मिलता था?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) यह बात सही है कि पुलिस मैनुअल अपेन्डिक्स ४४ (ए) के अनुसार जमशेदपुर और धनबाद के हवलदारों और कांस्टेबुलों को कम्पेन्सेटरी एलाउएंस मिलता था और वह इसलिए मिलता था कि वहां का कौस्ट औफ लिविंग अधिक था बनिस्बत दूसरे स्थानों के। भागलपुर मिलिटरी पुलिस को भी मिलिटरी पुलिस मैनअल के अपेन्डिक्स २ के अनुसार कम्पेन्सेटरी एलाउएंस मिलता था, जब वे ड्यूटी पर पटना आते थे जब गवर्नर साहब यहां रहते थे।

---

†सदस्य की अनुपस्थिति में श्री त्रिवेणी कुमार के अनुरोध से उत्तर दिया गया।

(ख) और (ग) जब और दूसरे वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का पे और एलाउएंस रिवीजन हुआ तो कौस्ट औफ लिविंग एलाउएंस सब वर्ग के कर्मचारियों का काट दिया गया। तो उसी के अनुसार जमशेदपुर, धनबाद और भागलपुर के हवलदार और कांस्टेबुलों को जो कम्पेन्सेटरी एलाउएंस मिलता था वह भी उठा दिया गया।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार समझती है कि जमशेदपुर और धनबाद का जो कौस्ट औफ लिविंग है वह दूसरे जिलों से, जैसे आरा और गया वगैरह से भिन्न है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इस विषय में गवर्नमेंट विचार करेगी। लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसका आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि गया और आरा के कौस्ट औफ लिविंग में और जमशेदपुर और धनबाद के कौस्ट औफ लिविंग में कोई अन्तर है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हां, वहां का खर्च अधिक है।

श्री रामानन्द तिवारी—तो जमशेदपुर और धनबाद में रहने वाले हवलदारों और कांस्टेबुलों का कम्पेन्सेटरी एलाउएंस देना बन्द क्यों कर दिया गया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आपने मेरे उत्तर को सुना नहीं। मैंने बताया था कि जब सभी वर्ग के कर्मचारियों के पे का रिवीजन हुआ उस वक्त इस तरह के सभी कर्मचारियों का कम्पेन्सेटरी एलाउएंस हटा दिया गया। इसलिए इनका भी हटा दिया गया। मैंने कहा है कि यह बात ठीक है कि जमशेदपुर और धनबाद का कौस्ट औफ लिविंग अन्य जगहों से ऊंचा है। और इस विषय में जांच की जायगी लेकिन इसके सम्बन्ध में अभी हम कोई आश्वासन देना नहीं चाहते।

श्री रामानन्द तिवारी—जब अंगरेजों ने कौस्ट औफ लिविंग एलाउएंस उन लोगों को अधिक दिया तो इस सरकार ने उसको क्यों खतम कर दिया?

अध्यक्ष—क्या उन लोगों को कौस्ट औफ लिविंग एलाउएंस नहीं मिलता है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—वह कम्पेन्सेटरी एलाउएंस है। कौस्ट औफ लिविंग एलाउएंस तो सभी को मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी उत्तर दिया। अब उससे अधिक उत्तर मैं नहीं दे सकाता हूं।

सिपाहियों तथा हवलदारों से नाजायज काम लिया जाना।

*४५७। श्री रामानन्द तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि प्रति रविवार और गुरुवार को सिपाही और हवलदारों को परेड नहीं करना पड़ता था;

(ख) क्या यह बात सही है कि उस दिन इसलिये पुलिस परेड बन्द रहता है कि वे लोग अपना कपड़ा आदि साफ करें या अपना व्यक्तिगत समान बाजार से लावें;